माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 पूर्णपीठ ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण क्रमांक /विविध/1397/पीबीआर/2010/जिला हरदा म0प्र0

म0प्र0 शासन

--आवेदक

विरूद्ध

राजबरारी स्टेट जिला हरदा

--अनावेदक

श्रीमती शशिकला बाथम शपथ आयुक्त ग्वालियर 6197 12.3.15

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 एवं 32 म0प्र0भू0रा0संहिता के अन्तर्गत पुर्नरीक्षण एवं आदेश 1 नियम 10 एवं धारा 151 सीपीसी

Presented by me Arshad Ali 12/3/15

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1- यहकि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम राजाबरारी, टेमरू बहार तथा सालई, ठेकेदारी की 7988 एकड़ (3232.631 हैक्टयर) सूची मुताबिक उक्त सभी ग्रामों की विवादित भूमि मेरे स्वामित्एवं आधिपत्य की है। मेरे परिवार का वंशवृक्ष निम्नानुसार है :-

श्री मरे मृत्यु दिनांक 10.11.1918

- श्रीमती फ्रांसिस विनीफ्रेड मरे
- किशन श्री मरे मरे मसीह

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 1397–PBR/10 **जिला** हरदा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7–8–2015	आवेदक एवं अनावेदक कमांक 3, 5 एवं 6 के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 633–पीबीआर/2011 जो कि इस प्रकरण से संबंधित है, में दिनांक 7–8–2015 को आदेश पारित कर उक्त प्रकरण में कार्यवाही किये जाने का औचित्य नहीं होने से प्रकरण समाप्त किया गया है । इसके अतिरिक्त इस न्यायालय द्वारा महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक, मुद्रांक, भोपाल को कार्यवाही करने हेतु पत्र भेजकर निर्देशित किया गया था । जवाब में महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक, मुद्रांक द्वारा पत्र कमांक 1253/तकनीकी/2011 दिनांक 26–5–2011 लिखकर दस्तावेज परिबद्ध करने हेतु उप पंजीयक को निर्देश देना उचित नहीं माना गया है । अपरोक्ष रूप से उनके द्वारा कार्यवाही करने में असमर्थता व्यक्त की गई है । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । अतः प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । **(डा. मधु खरे)** सदस्य **(एम.के. सिंह)** सदस्य **(मनोज गोयल)** अध्यक्ष	